मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन, नेहरू नगर, भोपाल

कार्यकारी समिति
की
60 वीं बैठक

कार्यवाही विवरण

तिथि: 15–05–2018 (मंगलवार) समय: दोपहर 3.00 बजे

स्थान
कक्ष क्र. 116, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

डॉ. आर. के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि. भोपाल

कार्यकारी समिति की 60 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

स्थानः कक्ष क्र. 116, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल	तिथिः 15–05–2018 (मंगलवार) समयः दोपहर 3.00 बजे

श्री उमाशंकर गुप्ता, अध्यक्ष, कार्यकारी समिति एवं माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, म. प्र. शासन की अध्यक्षता मे, कार्यकारी समिति की 60 वीं बैठक, कक्ष क्र. 116, मंत्रालय, बल्लभ भवन में सम्पन्न हुई।

उपस्थिति निम्नानुसार थी:–

1.	माननीय श्री उमाशंकर गुप्ता, अध्यक्ष कार्यकारी समिति एवं मंत्री, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भोपाल	अध्यक्ष
2.	श्री मनीष रस्तोगी, आईएएस, प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल	सदस्य
3.	डॉ. नवीन चन्द्रा, महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल	सदस्य
4.	प्रो. अखिलेश पाण्डे, अध्यक्ष, म. प्र. निजी विश्वविद्यालय नियमाक आयोग, भोपाल	सदस्य
5.	प्रो. आर. पी. तिवारी, कुलपति डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर	सदस्य
6.	डॉ. अजय सिंह रजावत, समूह प्रमुख, अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, जोधपुर टेकरा, अहमदाबाद	सदस्य
7.	श्री जितेन्द्र गुप्ता, राष्ट्रीय महामंत्री, लघु उद्योग भारती, भोपाल	सदस्य
8.	डॉ. मधुसूदन देशपांडे, अध्यक्ष, ओजस पंचकर्म चिकित्सालय, भोपाल	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, भोपाल प्रतिनिधिः श्री तरूण कुमार कटारे, ओ. एस. डी.	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल प्रतिनिधिः श्रीमति जयश्री मिश्रा, अपर सचिव	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल प्रतिनिधिः श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, उप सचिव	सदस्य
12.	डॉ. आर. के. सिंह, कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल	सदस्य–सचिव
13.	डॉ. चन्द्रकांत पाटिल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म. प्र. जैव प्रौद्योगिकी परिषद् भोपाल	विशेष अतिथि

डॉ. आर के सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि. भोपाल

कार्यसूची क्रमांक – 60.1

विषयः कार्यकारी समिति की 59 वीं बैठक में पारित निर्णयों की पुष्टि।

दिनांक 26–02–2018 (सोमवार) को सम्पन्न कार्यकारी समिति की 59 वीं बैठक के निर्णयों का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्यों से 59वीं बैठक की कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तावित संकल्पः

सदस्यों द्वारा 59वीं बैठक दिनांक 26–02–2018 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

निर्णयः निर्णयों की पुष्टि की गई।

कार्यसूची क्रमांक – 60.2

विषयः कार्यकारी समिति की 59 वीं बैठक के निर्णयों का पालन प्रतिवेदन एवं कार्य विवरण की पुष्टि।

निर्णयः अवलोकन किया गया ।

कार्यसूची क्रमांक– 60.3

विषयः वर्ष 2018–19 की प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट प्रावधान का अवलोकन एवं अनुमोदन।

वर्ष 2018–19 हेतु परिषद् की प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना एवं शासन से आंवटित बजट एवं प्रस्तावित बजट प्रावधान सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई।

निर्णयः प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। भविष्य में पिछले वर्ष के बजट के आकड़े, भी शामिल कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि. भोपाल

कार्यसूची क्रमांक– 60.4

विषयः मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सेवायुक्तों की अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष करने के संबंध में।

परिषद के सेवा भर्ती नियम 2013 के अंतर्गत परिषद के सेवायुक्तों की अधिवार्षिकी आयु का प्रावधान राज्य शासन के अनुरूप 60 वर्ष रखा गया है।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल का पत्र कमांक एफ 8–1/2018/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 10.04.2018 एवं मध्यप्रदेश राज्य पत्र (असाधारण) कमांक 207, भोपाल दिनांक 31 मार्च 2018 की कंडिका कमांक 03 के अनुसार अधिवार्षिकी आयु 60 के स्थान पर 62 वर्ष की गई है।

उपरोक्त आदेश के तारतम्य में, परिषद् के सेवायुक्तों की अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष किए जाने का अनुमोदन दिया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कार्यसूची क्रमांक– 60.5

विषयः क्षेत्रीय विस्तार केन्द्र, पचमढ़ी, जिला होशंगाबाद को बंद करने के संबंध में।

कार्यकारी समिति की दिनांक 03 सितम्बर 2007 को आयोजित 45 वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार क्षेत्रीय विस्तार केन्द्र, पचमढ़ी, जिला होशंगाबाद की स्थापना की गई थी। विगत् वर्षों से इस केन्द्र द्वारा किसी भी प्रकार की गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के अनुमोदन पश्चात् क्षेत्रीय विस्तार केन्द्र, पचमढ़ी को बंद करने के संबंध में आदेश क. 177/ईडी/सीएसटी/2018 दिनांक 24–04–2018 जारी कर बंद करने की प्रकिया की जा रही है।

प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया गया।

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि.भोपाल

कार्यसूची क्रमांक– 60.6

विषयः मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद् का विलय बाबत्।

माननीय मंत्री, म. प्र. शासन, राजस्व एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सह–उपाध्यक्ष म. प्र. जैव प्रौद्योगिकी परिषद् श्री उमाशंकर गुप्ता की अध्यक्षता में दिनांक 26–04–2018 को म. प्र. जैव प्रौद्योगिकी परिषद् के म. प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में संविलियन के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में म. प्र. जैव प्रौद्योगिकी परिषद् के म. प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में संविलियन करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।

मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद में स्वीकृत 14 पदों मे से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रबंधक (शिक्षा) एवं प्रबंधक (वित्त/प्रशा) के 3 पदों को समाप्त करते हुए शेष 11 पदों को म. प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में हस्तांतरित करने हेतु एवं पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर ही लेने हेतु सहमति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णयः प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

विषयः परिषद में प्राप्त विभिन्न परियोजना प्रस्तावों को अनुदान स्वीकृति हेतु कार्य समूह की सीमा बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव।

कार्यकारी समिति की 45वीं बैठक दिनांक 3 सितंबर 2007 के कार्यसूची क्र. 4(अ) पर एक लाख के भीतर आने वाले सभी प्रस्तावों के लिये वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था।

विगत् एक दशक में कार्यक्रमों के आयोजन व्यय में बढ़ोत्तरी हुई है, जिससे परिषद द्वारा वर्तमान समय में रू. 1.00 लाख की सीमा में प्रायोजित प्रभावशाली

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि.भोपाल

कार्यक्रमों को सम्पन्न करने में कठिनाई हो रही है। अतः कार्य समूह की सीमा रू. 1.00 लाख से बढ़ाकर रू. 2.50 लाख किया जाना प्रस्तावित है।

पूर्व में परिषद की कार्ययोजना के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने हेतु परिषद के सभी विभागों में कार्य समूह (वर्किंग ग्रुप) का गठन किया गया था। अलग–अलग विभागों की अलग–अलग कार्य समूह होने के कारण बैठकों की संख्या बढ़ जाती है तथा निर्णयों में विलंब होने की संभावना रहती है। अतः परिषद में एक ही कार्य समूह (वर्किंग ग्रुप) का गठन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें अध्यक्ष, सह–अध्यक्ष, दो सदस्य एवं संबंधित योजना के प्रभारी को सम्मिलित किया जावेगा।

प्रस्ताव कार्यकारी समिति के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(उमाशंकर गुप्ता) **अध्यक्ष** **म. प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद् एवं** **माननीय मंत्री, म. प्र. शासन,** **वि. एवं प्रौ. विभाग** (उमाशंकर गुप्ता) मंत्री, राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मध्यप्रदेश शासन	(डॉ. नवीन चन्द्रा) **संयोजक** **महानिदेशक,** **म. प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद्** (डॉ. नवीन चन्द्रा) महानिदेशक म.प्र. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परिषद् भोपाल	(डॉ. आर. के. सिंह) **सदस्य सचिव** **कार्यकारी संचालक** **म. प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद्** डॉ.आर.के.सिंह कार्यकारी संचालक म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि.,भोपाल

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि.,भोपाल